

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक— 15/5/17  
आज्ञा

इस सचिवालय की समन्वयक आज्ञा दिनांक 21.11.2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप दिये जाने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः—

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री<br>गृह एवं न्याय विभाग               | — अध्यक्ष |
| 2. | श्री राजेन्द्र राठौड़, मंत्री<br>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | — सदस्य   |
| 3. | श्री अरुण चतुर्वेदी, मंत्री<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग     | — सदस्य   |
| 4. | श्री वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)<br>शिक्षा विभाग | — सदस्य   |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्री/राज्यमंत्री।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. जेवरिया)  
शासन उप सचिव

185  
V

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.म. / 2014

जयपुर, दिनांक 21.11.2015

आज्ञा

माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप दिये जाने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

		अध्यक्ष
1.	श्री गुलाब चन्द कटारिया, माननीय मंत्री, गृह एवं न्याय, होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, जेल तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	
2.	श्री कालीचरण सराफ, माननीय मंत्री, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र गोयल, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
4.	श्री अरूण चतुर्वेदी, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
5.	श्री वासुदेव देवनानी, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा विभाग	सदस्य

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग तथा इसके सदस्य सचिव शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
7. रक्षित पत्रावली ।

(हरीबाबू शर्मा) 21/11/15  
सलाहकार

01